PLUTUS IAS

UPSC/ PCS

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

प्लूटस आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

24/06/2024 से 30/06/2024 तक

THE HINDU

The Indian EXPRESS

पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

कार्यालय

बेसमेंट 8, अप्सरा आर्केड, करोल बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर - 6, नई दिल्ली 110005

706 प्रथम तल डॉ. मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पास दिल्ली - 110009

मोबाइल नं. : +91 84484-40231

वेबसाइट : www.plutusias.com

ईमेल : info@plutusias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

1. भारत में प्रोटेम स्पीकर : अधिकार और कर्त्तव्य 1
2. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 3
3. भारत में भक्ति आंदोलन और संत कबीर दास की जयंती 6
4. भारत में श्रीनगर को ' विश्व शिल्प शहर ' का मान्यता मिलना... 8
5. यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को साहित्य की नगरी के रूप में मान्यता देना 11
6. भारत में जम्मू-कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश में शत्रु एजेंट अध्यादेश लागू..... 12

करंट अफेयर्स जून 2024

भारत में प्रोटेम स्पीकर : अधिकार और कर्त्तव्य

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के अंतर्गत ' भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था, संसद, लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका और शक्तियाँ, गवर्नर की भूमिका ' खंड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, धन – विधेयक, संयुक्त बैठक, दसवीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन, न्यायिक समीक्षा ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारत में प्रोटेम स्पीकर : अधिकार और कर्त्तव्य ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

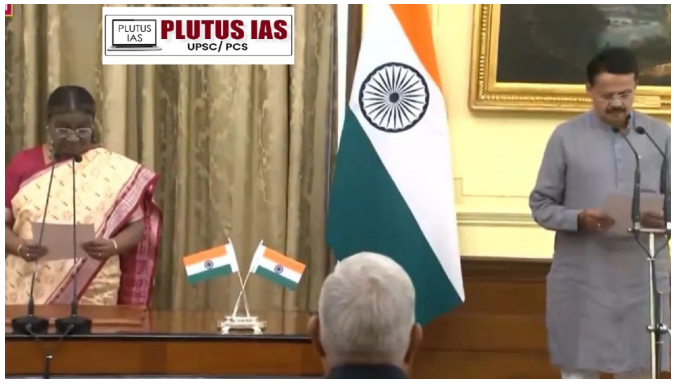

- हाल ही में, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने कटक से सात बार सांसद रहे भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष (प्रो-टेम स्पीकर) नियुक्त किया है और उन्हें शपथ दिलाई है।
- भारत में प्रो-टेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 1)95) के तहत की जाती है और यह भारत लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष के चुनाव तक उसके कर्तव्यों का पालन करता है।

भारत में प्रोटेम स्पीकर का अर्थ और भूमिका :

- प्रोटेम एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है – **"कुछ समय के लिए" या "फिलहाल के लिए"।**
- इस प्रकार, प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी अध्यक्ष होता है जिसे लोकसभा या राज्य विधानसभाओं में कार्य संचालन के लिए सीमित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।
- जब लोकसभा या विधानसभा का चुनाव हो चुका होता है और स्थायी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए मतदान नहीं हुआ होता है, तब तक सदन के संचालन के लिए प्रोटेम स्पीकर का चयन किया जाता है।
- भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से 'प्रोटेम स्पीकर' शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन भारत के संसदीय प्रणाली में यह पद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- जब सदन द्वारा नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है, तब प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल स्वयं ही समाप्त हो जाता है।
- जब पिछली लोकसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद छोड़ देता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा के एक वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है।
- सामान्यतः इस पद के लिए सबसे वरिष्ठ सदस्य का चयन किया जाता है।
- प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति स्वयं शपथ दिलाता है।
- वह नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है और उसके पास अध्यक्ष की सभी शक्तियाँ होती हैं।
- इसका प्रमुख कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना और सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने में सक्षम बनाना होता है।
- प्रोटेम स्पीकर का मुख्य उद्देश्य नए निर्वाचित सदन की बैठकों की अध्यक्षता करना और सदन के नए अध्यक्ष का चुनाव संपन्न कराना होता है।

भारत में प्रोटेम स्पीकर का इतिहास :

- भारत में प्रोटेम स्पीकर का इतिहास इसलिए भी महत्वपूर्ण और विशिष्ट है क्योंकि वर्ष 1921 में, भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों का सृजन किया गया था।
- उस समय, इन पदों को क्रमशः प्रेसिडेंट (President) और डिप्टी प्रेसिडेंट (Deputy President) कहा जाता था, और यह प्रथा भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति वर्ष 1947 तक जारी रहा।
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अंतर्गत, प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट के नामों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में बदल दिया गया।

- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारतीय संविधान के तहत संसद की संरचना और कार्यप्रणाली को और भी व्यवस्थित किया गया, जिसमें प्रोटेम स्पीकर की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई।
- प्रोटेम स्पीकर की भूमिका विशेष रूप से नवनिर्वाचित सदन की पहली बैठक में होती है, जहां वे नए सदस्यों को शपथ दिलाते हैं और नए स्पीकर का चुनाव सुनिश्चित करते हैं।
- प्रोटेम स्पीकर का चयन आमतौर पर संसद के सबसे वरिष्ठ सदस्य में से किया जाता है, जो नए स्पीकर के चयन तक इस पद पर रहते हैं।
- इस प्रकार, प्रोटेम स्पीकर भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण धुरी है, जो संसद की कार्यप्रणाली को सुचारू और सुव्यवस्थित बनाए रखने में सहायता करती है।

भारत में प्रोटेम स्पीकर को चयन करने की प्रणाली :

- प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति या राज्यपाल अस्थायी अध्यक्ष को पद की शपथ दिलाते हैं।
- परंपरा के अनुसार, विधानसभा सदस्यों की सहमति से सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, जो स्थायी अध्यक्ष चुने जाने तक कार्य करते हैं।

प्रोटेम स्पीकर का कर्त्तव्य :

भारत में प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कर्त्तव्य निम्नलिखित है –

- लोकसभा या राज्य विधान सभाओं की पहली बैठक की अध्यक्षता करना।
- नवनिर्वाचित सांसदों या विधायकों को पद की शपथ दिलाना।
- स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए मतदान का संचालन करना।
- सरकार का बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट आयोजित करना।

लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की प्रणाली :

- भारत में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भारतीय संसद के निचले सदन अर्थात लोकसभा, के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- इस चुनाव प्रक्रिया के तहत सांसद गुप्त मतदान में हिस्सा लेते हैं और जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं, वह लोकसभा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो जाता है।
- भारत में किसी भी लोकसभा सदस्य को अध्यक्ष पद के लिए नामित किया जा सकता है।
- लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में उम्मीदवार की वरिष्ठता, अनुभव और निष्पक्षता जैसे महत्वपूर्ण गुणों पर ध्यान दिया जाता है।
- एक बार उम्मीदवार पर सहमति बनने के बाद, आमतौर पर प्रधानमंत्री या संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उसके नाम का प्रस्ताव रखा जाता है।
- अध्यक्ष का कार्यकाल तब तक चलता है जब तक लोकसभा भंग नहीं हो जाती है।
- अध्यक्ष खुद ही इस्तीफा नहीं दे देता है, या लोकसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उन्हें इस पद से हटाया नहीं जाता है।

लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल :

- लोकसभा अध्यक्ष अपने चुनाव की तारीख से अगली लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक (5 वर्ष तक) पद धारण करता है।
- अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित होने के लिए पात्र होता है।
- जब लोकसभा भंग होती है, तब भी लोकसभा अध्यक्ष अपना पद तुरंत खाली नहीं करता है, वह अपने पद पर नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक तक बना रहता है।

लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका और शक्तियाँ :

- लोकसभा अध्यक्ष सदन के अंदर भारतीय संविधान के प्रावधानों, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों तथा संसदीय मामलों के अंतिम व्याख्याकार होते हैं।
- वे अक्सर ऐसे निर्णय देते हैं जो सदस्यों द्वारा सम्मानित किए जाते हैं और जो प्रकृति में बाध्यकारी होते हैं।
- अध्यक्ष द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) की अध्यक्षता भी की जाती है।
- इस प्रकार की बैठकें दोनों सदनों के बीच होने वाले गतिरोध को सुलझाने के लिए बुलाई जाती हैं, जिनमें अध्यक्ष की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है।
- अध्यक्ष को सदन को स्थगित करने या गणपूर्ति (तीसरे सदन के हिस्से) की अनुपस्थिति में बैठक को स्थगित करने की शक्ति भी होती है।
- निर्णायक मत के मामले में अध्यक्ष को बराबरी की स्थिति में मत देने का अधिकार होता है, जिसे निर्णायक मत (Casting Vote) कहा जाता है। इसका उद्देश्य सदन में उत्पन्न गतिरोध को समाधान करना होता है।

- धन विधेयक के मामले में भी अध्यक्ष को निर्णय लेने का अधिकार होता है, वह धन विधेयक के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेता है।
- अध्यक्ष के विशेष शक्तियों में यह भी शामिल है कि उन्हें दसवीं अनुसूची के तहत सदस्यों की अयोग्यता के मामले में निर्णय लेने का अधिकार होता है।
- अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह (Indian Parliamentary Group – IPG) के पदेन अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं और विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के पदेन अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं।
- भारत में विभिन्न प्रकार की समितियों के गठन में भी अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जहां सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष उनके निर्देशन में कार्य करते हैं।
- अध्यक्ष सदन, उसकी समितियों और सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का संरक्षक भी होते हैं और विशेषाधिकार समिति को किसी भी प्रश्न को परीक्षा, जांच और प्रतिवेदन के लिए सौंपने का अधिकार भी उन पर निर्भर करता है।

स्रोत – द हिंदू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री या संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है।
2. प्रोटेम स्पीकर को भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है।
3. भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से 'प्रोटेम स्पीकर' शब्द का उल्लेख नहीं है।
4. प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है और उसके पास अध्यक्ष की सभी शक्तियाँ होती हैं।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. केवल 1 और 2

D. केवल 3 और 4

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. प्रोटेम स्पीकर से आप क्या समझते हैं ? भारत में प्रोटेम स्पीकर के कार्यों और शक्तियों के बारे में विस्तृत चर्चा कीजिए। (UPSC CSE – 2020. शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 3 के अंतर्गत ' जैव विविधता, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और उससे संबंधित चुनौतियाँ ' खंड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' जीवाश्म ईंधन, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, नवीकरणीय ऊर्जा ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने भारत में उर्वरक क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ग्रीन अमोनिया का वार्षिक आवंटन 550,000 टन से बढ़ाकर 750,000 टन कर दिया है।
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के इस पहल से भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के समर्थन में वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) का परिचय :

- भारत में हरित हाइड्रोजन के व्यावसायिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने और भारत को ईंधन का शुद्ध निर्यातक बनाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) एक महत्वपूर्ण पहल है जो भारत में हरित हाइड्रोजन के लिए एक रोडमैप तैयार करता है।
- इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत में हरित हाइड्रोजन की मांग में वृद्धि लाने के साथ – साथ इसके उत्पादन, उपयोग और निर्यात को बढ़ावा देना है।

भारत में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कुछ महत्वपूर्ण पहल निम्नलिखित है –

- **हरित हाइड्रोजन संक्रमण कार्यक्रम (SIGHT) :** इसका उद्देश्य हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप प्रदान करना है।
- **इलेक्ट्रोलाइजर के विनिर्माण :** इसके तहत इलेक्ट्रोलाइजरों के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा, जो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं।

- **ग्रीन अमोनिया के उत्पादन को प्रोत्साहन देना :** राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन अमोनिया के उत्पादन को भी प्रोत्साहित करेगा, जो स्टील और सीमेंट के उत्पादन में उपयोग में आता है।
- **एक समर्पित पोर्टल को लॉन्च करना :** राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया गया है जो भारत में हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के मिशन और कदमों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- **अन्य क्षेत्रों में योजनाएं :** भारत ने इस्पात, परिवहन और शिपिंग क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इससे संबंधित अन्य पहलों की भी शुरूआत की है।

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित शुरू की गई अन्य पहल :

- **राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति।**
- **जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (JNNSM)।**
- **पीएम-कुसुम ।**
- **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ।**
- **रूफटॉप सोलर योजना ।**

ग्रीन अमोनिया का परिचय एवं महत्व :

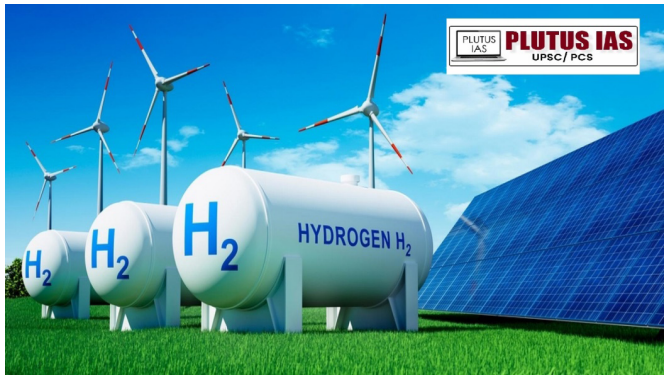

- अमोनिया एक तीक्ष्म गंध वाली रंगहीन गैस है।
- यह हवा से हल्की होती है और इसका वाष्प घनत्व 8.5 होता है।
- जल में अत्यधिक विलेय होने के कारण, इसे अमोनिया कहा जाता है।
- अमोनिया का उपयोग मुख्य रूप से यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट जैसे नाइट्रोजन-युक्त उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है।
- इसके अलावा, इंजन संचालन और अन्य उपयोगों के लिए भी अमोनिया का उपयोग किया जा सकता है।
- ग्रीन अमोनिया उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का %100 उपयोग किया जाता है, जिससे यह कार्बन-मुक्त होता है।
- इसके उत्पादन की विधि में जल के इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग होता है, जिसमें हाइड्रोजन और वायु को अलग किया जाता है।
- इसके बाद, हेबर प्रक्रिया में इन दोनों तत्वों को उच्च तापमान और दबाव पर एक साथ प्रतिक्रिया करके अमोनिया (NH_3) का उत्पादन किया जाता है।

भारत में ग्रीन अमोनिया का उपयोग :

भारत में ग्रीन अमोनिया के उपयोग के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है –

- **ऊर्जा भंडारण को संग्रहित करने में :** अमोनिया को तरल रूप में आसानी से मध्यम दबाव (15-10 बार) पर या 33- डिग्री सेल्सियस पर रेफ्रिजरेट करके बड़ी मात्रा में संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे अक्षय ऊर्जा के लिए एक आदर्श रासायनिक भंडार बनाता है।
- **शून्य कार्बन ईंधन के रूप में :** अमोनिया को इंजन में जलाया जा सकता है या विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में किया जा सकता है। जब इसका उपयोग किया जाता है, तब अमोनिया के केवल उप-उत्पाद जल एवं नाइट्रोजन होते हैं।
- **समुद्री उद्योग में ईंधन तेल के उपयोग को प्रतिस्थापित करने में :** समुद्री उद्योग के माध्यम से समुद्री इंजनों में ईंधन तेल के उपयोग को प्रतिस्थापित करने की संभावना है। इसके साथ ही, हरित अमोनिया का महत्व भी बढ़ रहा है।

हरित (ग्रीन) अमोनिया का महत्व :

- भविष्य में हरित अमोनिया जलवायु-तटस्थ परिवहन के लिए ईंधन बनने की क्षमता रखता है और इसका उपयोग कार्बन-तटस्थ उर्वरकों के उत्पादन में किया जाएगा।
- यह उर्वरक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को कार्बन-मुक्त बनाने में मदद करेगा।
- विश्व की बढ़ती जनसंख्या के लिए CO2 मुक्त बिजली और पर्याप्त भोजन उत्पादन की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हरित अमोनिया का उपयोग आवश्यक होगा।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से संबंधित मुख्य चुनौतियाँ :

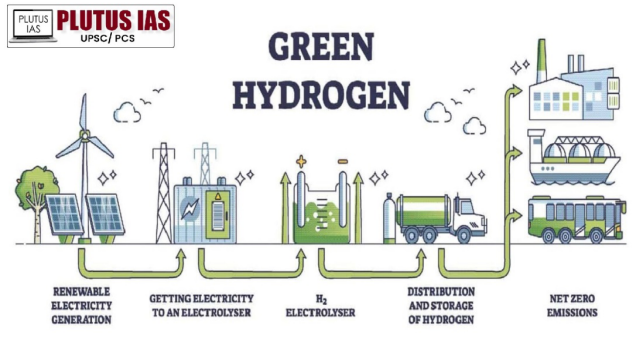

- जीवाश्म ईंधन से हाइड्रोजन बनाने की तुलना में नवीकरणीय स्रोतों से हाइड्रोजन का उत्पादन अपेक्षाकृत महंगा है। नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन की उच्च लागत के कारण, यह वैश्विक हाइड्रोजन उत्पादन का %1 से भी कम हिस्सा है।

- उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण केंद्र का लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में संदेह है, क्योंकि विभिन्न सहायक नीतियों के बावजूद भारत सौर सेल , अर्धचालक या पवन ऊर्जा घटकों का शुद्ध निर्यातक बनने में कामयाब नहीं हो पाया है।
- भारत में बुनियादी विनिर्माण आधार लगातार कमज़ोर बना हुआ है। इसमें वैश्विक पूंजी को उचित रूप से अवशोषित करने और उसका उपयोग करने की क्षमता का भी अभाव है।

समाधान / आगे की राह :

भारत में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत समाधान की राह निम्नलिखित है –

उत्पादन और उपयोग की उच्च लागत :

- वर्तमान में, हरित हाइड्रोजन की उत्पादन लागत पारंपरिक हाइड्रोजन, जो जीवाश्म ईंधन या अन्य निम्न-कार्बन स्रोतों (जैसे परमाणु या ब्लू हाइड्रोजन) से उत्पादित होती है, से अधिक है। इस समस्या के समाधान के लिए कुशल प्रौद्योगिकियों का विकास करना आवश्यक है, जो हरित हाइड्रोजन की उत्पादन लागत को कम कर सकें।
- एक संभावित उपाय यह हो सकता है कि अधिक कुशल विद्युत-अपघटन प्रणालियों का उपयोग किया जाए, जिनमें समान मात्रा में हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता हो। यह उन्नत सामग्री या अधिक कुशल उत्प्रेरक के उपयोग से संभव हो सकता है।
- दूसरा उपाय यह हो सकता है कि हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, जैसे पवन या सौर ऊर्जा फार्म के साथ एकीकृत किया जाए। इससे विद्युत-अपघटन प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली बिजली की लागत को कम किया जा सकता है, जिससे हरित हाइड्रोजन पारंपरिक हाइड्रोजन के मुकाबले अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकता है।

विनियामक स्तर पर प्रोत्साहन को लागू करना :

- सरकार टैक्स क्रेडिट और सब्सिडी जैसे नियामक प्रोत्साहनों को लागू करके हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित कर सकती है।
- इससे भारत में हरित हाइड्रोजन की इस प्रौद्योगिकी को अपनाने में तेजी आएगी और इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकेगी।

पर्याप्त अवसंरचना और आपूर्ति शृंखला का अभाव :

- हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए समर्पित अवसंरचना और आपूर्ति शृंखला की आवश्यकता है।
- पारंपरिक हाइड्रोजन के लिए मौजूदा अवसंरचना और आपूर्ति शृंखला हरित हाइड्रोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त या संगत नहीं है।
- इसलिए, भारत में हरित हाइड्रोजन के लिए कुशल और लागत-प्रभावी आपूर्ति शृंखला विकसित की जानी चाहिए।

विभिन्न हितधारकों और संबंधित क्षेत्रों के बीच समन्वय स्थापित करना :

- भारत में हरित हाइड्रोजन के विकास में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक, इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माता, हाइड्रोजन उत्पादक, ट्रांसपोर्टर, वितरक और अंतिम उपयोगकर्ता जैसे कई हितधारक और क्षेत्र शामिल होते हैं।
- इस प्रौद्योगिकी के लिए नीतियों, मानकों, विनियमों, प्रोत्साहनों और बाजारों के संरेखण को सुनिश्चित करने के लिए इन सभी के बीच आपस में समन्वय बनाने की आवश्यकता है।

संभावित उपयोगकर्ताओं और उत्पादकों के बीच जागरूकता प्रसार और क्षमता निर्माण, आवश्यक कौशल और दक्षता विकसित करने की आवश्यकता :

- हरित हाइड्रोजन अभी भी एक विकासशील प्रौद्योगिकी है, जिसके लिए संभावित उपयोगकर्ताओं और उत्पादकों के बीच जागरूकता प्रसार और क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।
- भरात में हरित हाइड्रोजन के विकास के लिए विभिन्न अनुप्रयोगों और विभिन्न क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन के लाभ, सुरक्षा और व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने की जरूरत है।
- इसके अलावा, हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग के लिए आवश्यक कौशल और दक्षता विकसित करने की भी आवश्यकता है।

स्रोत- द हिन्दू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह उर्वरक खाद्य आपूर्ति शृंखला को कार्बन-मुक्त बनाने में मदद करता है।
2. इसका उपयोग कार्बन-तटस्थ उर्वरकों के उत्पादन के रूप में किया जा सकता है।
3. अमोनिया का उपयोग मुख्य रूप से यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट जैसे नाइट्रोजन-युक्त उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है।

4. हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का %100 उपयोग किया जाता है, जिससे यह कार्बन-मुक्त होता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के प्रमुख उद्देश्यों और महत्व को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत में हरित हाइड्रोजन से संबंधित मुख्य चुनौतियाँ क्या है और यह स्वच्छ ईंधन के रूप में कितना कारगर है ? तर्कसंगत चर्चा कीजिए। (UPSC CSE – 2021 शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारत में भक्ति आंदोलन और संत कबीर दास की जयंती

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 1 के अंतर्गत ' मध्यकालीन भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति और विरासत, भक्ति आंदोलन में कबीर दास का योगदान, भारत में भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व ' खंड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' भारत में भक्ति आंदोलन, संत कबीर दास, कबीर बीजक (कविताएँ और छंद), कबीर ग्रंथावली, कबीर के दोहे ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारत में भक्ति आंदोलन और संत कबीर दास की जयंती ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने 22 जून, 2024 को मध्यकालीन संत और भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवि कबीर दास की 647वीं जयंती मनाई।
- भारत में कबीर दास जयंती हिंदू चंद्र कैलेंडर (Hindu Lunar Calendar) के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है।

कबीर दास :

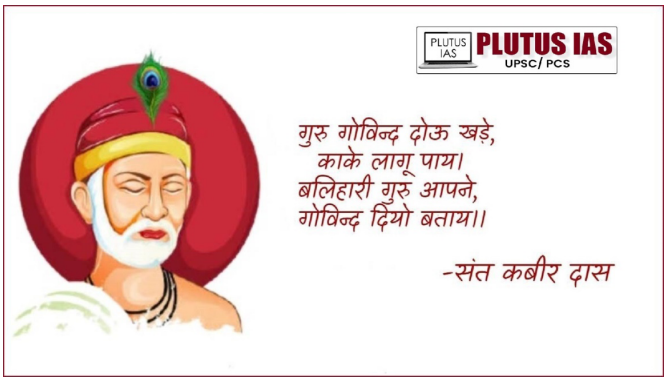

- कबीर दास, 15वीं सदी के मध्यकालीन भारत के रहस्यवादी कवि और संत थे।
- उनका प्रारंभिक जीवन एक मुस्लिम परिवार में बीता, परंतु वे अपने शिक्षक, भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रमुख प्रणेता रामानंद से काफी प्रभावित थे, जो हिन्दू धर्म से संबंधित थे।
- उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था, और उनका पालन-पोषण एक हिंदू बुनकर दंपत्ति ने किया था।
- कबीर दास भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने ईश्वर के प्रति समर्पण और प्रेम को जोर दिया।
- उनकी रचनाएँ हिन्दी साहित्य के भक्तिकाल के निर्गुण शाखा के ज्ञानमार्गी उपशाखा के महानतम काव्यों के रूप में प्रसिद्ध हैं।
- कबीर ने अपने गुरुओं, जैसे कि रामानंद और शेख तकी, से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया और अपने दर्शन को एक अद्वितीय आकार दिया।
- कबीर के दोहे जो उन्होंने अपने छंदों के रूप में लिखे थे, उनकी प्रसिद्धि को दर्शाते हैं।
- उनकी रचनाएँ हिंदी भाषा में लिखी गईं और लोगों को जागरूक करने के लिए वे अपने दोहों का उपयोग करते थे।
- उनकी रचनाओं ने भारतीय साहित्य और हिंदी भाषा के विकास को महत्त्वपूर्ण रूप से समृद्ध किया है।
- उनके द्वारा लिखी गई ब्रजभाषा और अवधी बोलियों में लिखी गई रचनाएँ आज भी प्रसिद्ध हैं।
- कबीर दास के लेखन का भक्ति आंदोलन पर बहुत प्रभाव पड़ा तथा इसमें कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक और सखी ग्रंथ जैसे ग्रंथ शामिल हैं।
- उनके छंद सिख धर्म के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में पाए जाते हैं।
- उनके प्रमुख रचनात्मक कार्यों का संकलन पाँचवें सिख गुरु, गुरु अर्जन देव द्वारा किया गया था।
- उन्होंने अपने दो-पंक्ति के दोहों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त

की, जिन्हें **'कबीर के दोहे'** के नाम से जाना जाता है।

- **भाषा :** कबीर की कृतियाँ हिंदी भाषा में लिखी गईं, जिन्हें समझना आसान था। लोगों को जागरूक करने के लिए वह अपने लेख दोहों के रूप में लिखते थे।

भारत में भक्ति आंदोलन :

- भारत के संपूर्ण सांस्कृतिक इतिहास में भक्ति आंदोलन मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्यिक घटना या आन्दोलन था, जो मुख्य रूप से 6वीं और 17वीं शताब्दी के बीच भारत में उपजी और अत्यंत तेजी तत्कालीन भारतीय समाज में प्रसारित हुई।
- इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत भगवान या देवता के प्रति उत्कट भक्ति को प्रचार – प्रसार करना था, जो मोक्ष और दिव्य प्राप्ति के साधन के रूप में प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभव, प्रेम और भक्ति पर जोर देता था।
- भारत में भक्ति आंदोलन ने जाति, पंथ और धर्म जैसे अनेक सामाजिक असमानताओं को दूर कर लिया था, जिससे पूरे भारत में धार्मिक प्रथाओं, सामाजिक संबंधों, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों और दार्शनिक विचारों में गहरा परिवर्तन आया।
- इस आंदोलन की शुरुआत भारत के दक्षिण राज्यों संभवत: तमिल क्षेत्र में हुई, जहां अलवार (विष्णु के भक्त) और नयनार (शिव के भक्त) तथा वैष्णव और शैव कवियों ने कविताओं के माध्यम से भक्ति का प्रचार-प्रसार किया।
- अलवार और नयनार अपने देवताओं की स्तुति में तमिल भाषा में भजन गाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे।
- उनकी रचनाओं में भगवान की महिमा और प्रेम की भावना व्यक्त होती थी।
- भक्ति आंदोलन के द्वारा भक्ति योग के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति के तरीके और मार्ग के रूप में स्थापित किया गया।
- इस आंदोलन ने भारत के मध्यकाल के समाज में व्याप्त धार्मिक आडम्बरों, कुरीतियों आदि के स्थान पर एक तार्किक धार्मिक विचारों को एक नई दिशा दी और सांप्रदायिक कट्टरता, आपसी वैमनस्यता और जातिगत भेदभाव की जगह सामाजिक एकता को प्रसारित और समृद्ध किया।
- भक्ति आंदोलन के दौरान भारत में एक तरफ जहाँ सगुण भक्ति परंपराएँ शिव, विष्णु और उनके अवतारों या देवी के विभिन्न रूपों जैसे विशिष्ट देवताओं की पूजा पर केंद्रित थीं, जिन्हें प्रायः मानवशास्त्रीय रूपों में अवधारणाबद्ध किया जाता था। वहीं दूसरी ओर, निर्गुण भक्ति भगवान के एक अमूर्त रूप की पूजा पर आधारित थी।

भक्ति आंदोलन के समय भारत की सामाजिक व्यवस्था :

- भक्ति आंदोलन भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू, मुसलमान और सिख समुदायों के बीच एक महत्वपूर्ण आंदोलन था।
- इस काल में सामाजिक-धार्मिक सुधारकों ने भगवान की भक्ति को प्रमुख आधार बनाया।
- भारत में इस आंदोलन में उच्च और निम्न जातियों से आए कवियों ने साहित्य को एक महत्वपूर्ण साधन बनाया, जिसने लोकप्रिय कथाओं को मजबूती से स्थापित किया।
- इन संतों ने समाज में सांप्रदायिक कट्टरता और जातिगत भेदभाव की आलोचना की और वास्तविक मानवीय आकांक्षाओं के क्षेत्र में धर्म की प्रासंगिकता का दावा किया।
- भक्ति आंदोलन के समस्त कवि भारत में सभी लोगों के लिए ईश्वर की भक्ति को ही सच्चे अर्थों में संसार के मायामोह से मुक्ति प्राप्त करने का साधन मानते थे।
- भक्ति आंदोलन के कवियों की भक्ति स्वार्थरहित और अनन्य श्रद्धा पर आधारित थी।
- इस आंदोलन ने तत्कालीन भारतीय समाज की विभाजक और विध्वंसक तत्वों के खिलाफ सार्थक भूमिका अदा की और कर्म योग, ज्ञान योग, और भक्ति योग के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को स्थापित किया।
- भक्तिकालीन कवियों ने ईश्वर के प्रति समर्पण को महत्व दिया और मूर्ति पूजा को उन्मूलन करने का प्रयास किया।

भक्ति आंदोलन में महिलाओं की भूमिका :

- भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लाया।
- यह आंदोलन महिलाओं को अपनी आध्यात्मिकता और भक्ति को व्यक्त करने का माध्यम प्रदान करता था, जिससे उन्हें घरेलू भूमिकाओं से बाहर निकलने में मदद मिली।
- महिलाएं धार्मिक सभाओं में सक्रिय रूप से शामिल होती थीं, भक्तिपूर्ण गीत गाती थीं और आध्यात्मिक चर्चाओं में भाग लेती थीं।
- इस आंदोलन में महिला संतों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा दिया और जाति भेद को कम किया।
- इस आंदोलन ने महिलाओं को आध्यात्मिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद की और उन्हें समाज में अधिक समानता दिलाई।

अंडाल :

- अंडाल एक महिला अलवार थीं, जिन्होंने खुद को विष्णु की प्रेमिका के रूप में देखा। उनकी रचनाएँ और उमें निहित भक्ति का भाव आज भी प्रमुख हैं।

कराईकल अम्मैयार :

- कराईकल अम्मैयार शिव की भक्त थीं। उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया।
- उनकी रचनाओं को नयनार परंपरा के भीतर संरक्षित किया गया है।

भक्ति आंदोलन के महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व :

कन्नड़ क्षेत्र :

- कन्नड़ क्षेत्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत 12वीं शताब्दी में बसवन्ना (68-1105) द्वारा की गई थी।

महाराष्ट्र :

- महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन 13वीं सदी के अंत में शुरू हुआ। इसके समर्थकों को वारकरी कहा जाता था। इसके सबसे प्रमुख नामों में ज्ञानदेव (96-1275), नामदेव (50-1270), और तुकाराम (-1608 50) शामिल हैं।

असम :

- श्रीमंत शंकरदेव एक वैष्णव संत थे जिनका जन्म 1449 ईस्वी में असम के नगांव जिले में हुआ था। उन्होंने नव-वैष्णव आंदोलन को शुरू किया था।

बंगाल :

- चैतन्य बंगाल के एक प्रसिद्ध संत और सुधारक थे, जिन्होंने कृष्ण पंथ को लोकप्रिय बनाया।

उत्तरी भारत :

- इस क्षेत्र में 13वीं से 17वीं शताब्दी तक कई कवि भक्ति आंदोलन से जुड़े रहे।
- कबीर, रविदास, और गुरु नानक ने निराकार भगवान (निर्गुण भक्ति) की महत्ता बताई।
- राजस्थान की मीराबाई (1546-1498) ने कृष्ण की स्तुति में भक्ति छंदों की रचना की और उनका गुणगान किया।
- सूरदास, नरसिंह मेहता, और तुलसीदास ने भी भक्ति साहित्य और भक्ति आंदोलन में अमूल्य योगदान दिया तथा इसकी गौरवशाली विरासत को बढ़ाया।

इस प्रकार भक्ति आंदोलन ने मध्यकालीन भरतीय समाज में जातिगत भेदभाव, धार्मिक आडम्बरों और कट्टरताओं को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

स्त्रोत – द हिन्दू एवं इंडियन एक्सप्रेस ।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में भक्ति आंदोलन और कबीर दास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. कबीर दास भक्ति आंदोलन के भक्तिकाल के निर्गुण शाखा के ज्ञानमार्गी उपशाखा के व्यक्ति थे।
2. कबीर दास की रचनाओं ने भारतीय साहित्य और हिंदी भाषा के विकास को महत्त्वपूर्ण रूप से समृद्ध किया है।
3. भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से शुरू होकर उत्तर भारत में पहुंची थी।
4. भक्ति आंदोलन के कारण महिलाओं को घरेलू भूमिकाओं से बाहर निकलने में मदद मिली।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में भक्ति आंदोलन के उद्भव के प्रमुख कारणों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भक्ति आंदोलन ने किस प्रकार भारतीय समाज में सांप्रदायिक कट्टरता, धार्मिक आडम्बर और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारत में श्रीनगर को ' विश्व शिल्प शहर ' का मान्यता मिलना

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 1 के अंतर्गत ' भारतीय इतिहास , कला एवं संस्कृति , भारतीय विरासत, मूर्तिकला, शिल्प कला ' खंड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' लोक कला, शिल्प कला, विश्व शिल्प परिषद, विश्व शिल्प शहर, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारत में श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का मान्यता मिलना ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- श्रीनगर को हाल ही में विश्व शिल्प परिषद (World Craft Council-WCC) द्वारा ' विश्व शिल्प शहर ' (World Craft City- WCC)' के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है।
- यह चौथा भारतीय शहर है जिसको यह मान्यता मिला है।

- भारत के तीन शहरों को इससे पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है।
- वर्ष 2021 में श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क (UNESCO Creative City Network- UCCN) के एक हिस्से के रूप में एक रचनात्मक शहर के रूप में नामित किया गया था।
- यहाँ कागज की लुगदी, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी, कालीन, सोज़नी कढ़ाई, पश्मीना और कानी शॉल जैसे शिल्प उत्पाद बनाए जाते हैं।

विश्व शिल्प शहर (WORLD CRAFT CITY- WCC) कार्यक्रम क्या है ?

- विश्व शिल्प शहर (World Craft City) कार्यक्रम विश्व भर में शिल्प के क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
- इस कार्यक्रम के तहत, विभिन्न शहरों को 'विश्व शिल्प शहर' के रूप में मान्यता दी जाती है, जो शिल्पकारों, स्थानीय अधिकारियों और समुदायों के योगदान को महत्वपूर्ण मानते हैं।
- WCC-इंटरनेशनल की स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी।
- भारत की श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय, जो WCC-इंटरनेशनल की संस्थापक सदस्यों में से एक थीं, प्रथम WCC आम सभा में शामिल हुई थीं।
- उन्होंने भारत की शिल्प विरासत को संरक्षित करने और बढ़ाने के लिए भारतीय शिल्प परिषद की स्थापना की थी।
- विश्व के किसी भी शहर को इस प्रकार की मान्यता मिलने से शिल्पकारों की कठिन मेहनत और उसकी असाधारण प्रतिभा को प्रोत्साहित किया जाता है, जो शिल्प और हस्तकला क्षेत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा देते हैं।
- यह कार्यक्रम शिल्पकारों के लिए नए बाजार और उनके द्वारा बनाए गए शिल्प उत्पादों के लिए नए अवसर को खोलने में मदद करता है और उन्हें उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का लाभ मिलता है।
- इसके साथ ही, यह पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा देता है और यह सांस्कृतिक और शिल्प विरासत के क्षेत्र में रुचि रखने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है।

श्रीनगर शहर को शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में एक रचनात्मक शहर के रूप में नामित करने का महत्व:

- श्रीनगर शहर को शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में एक रचनात्मक शहर के रूप में नामित किया गया है।
- राजस्थान के शहर जयपुर के बाद श्रीनगर शहर इस श्रेणी में भारत का दूसरा शहर बन गया है।
- यह नामांकन न केवल श्रीनगर को वैश्विक पहचान दिलाएगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग, शिल्प विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग और उत्पाद प्रोत्साहन में भी मदद करेगा।
- इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर की राजधानी, श्रीनगर, अब विश्व के 295 'रचनात्मक शहरों के नेटवर्क' का हिस्सा बन गई है।
- यूनेस्को हर वर्ष विश्व के विभिन्न शहरों को अपनी 'यूसीसीएन' परियोजना (UCCN Project) में शामिल करने के लिए आवेदन मांगता है।
- भारत से यह आवेदन संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से भेजे जाते हैं।

यूनेस्को का रचनात्मक शहरों का नेटवर्क (UCCN) :

- यूनेस्को का रचनात्मक शहरों का नेटवर्क (UCCN) वर्ष 2004 में प्रारंभ किया गया था।
- इसका मुख्य उद्देश्य वे शहर हैं जो अपने शहरी विकास में रचनात्मकता को महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचानते हैं।
- यह नेटवर्क सतत् विकास लक्ष्य11- (Sustainable Development Goal11-) के तहत आता है, जो सतत् शहरों और समुदायों से संबंधित है।
- इस नेटवर्क के तहत सात रचनात्मक क्षेत्र शिल्प एवं लोक कला, मीडिया कला, फिल्म, डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य और संगीत शामिल हैं।

UCCN में शामिल भारतीय शहरों की सूची निम्नलिखित है –

1. **श्रीनगर :** शिल्प और लोक कला (2021)
2. **मुंबई :** फिल्म (2019)
3. **हैदराबाद :** गैस्ट्रोनॉमी (2019)
4. **चेन्नई :** संगीत का रचनात्मक शहर (2017)
5. **जयपुर :** शिल्प और लोक कला (2015)
6. **वाराणसी :** संगीत का रचनात्मक शहर (2015)

ये शहर अपनी विशेष रचनात्मक परंपराओं, कला, और सांस्कृतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

यूनेस्को (UNESCO) का परिचय एवं कार्य :

- यूनेस्को (UNESCO) एक विशेष प्रकार एजेंसी है जो संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के तहत कार्य करती है।
- यह शिक्षा, विज्ञान, और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है।
- यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है।

यूनेस्को की प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं –

- **मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम :** यह प्रोग्राम प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए काम करता है।
- **विश्व धरोहर कार्यक्रम :** यह कार्यक्रम ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, और प्राकृतिक स्थलों की संरक्षा के लिए जिम्मेदार है।
- **ग्लोबल जिओ पार्क नेटवर्क :** यह नेटवर्क प्राकृतिक जीवन के संरक्षण और शिक्षा के लिए विशेष स्थलों को शामिल करता है।
- **रचनात्मक शहरों का नेटवर्क :** यह नेटवर्क शहरी स्थलों की सांस्कृतिक और रचनात्मक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए काम करता है।
- **एटलस ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेजेज़ इन डेंजर :** यह एटलस भाषाओं की खतरे में पड़ी हुई जानकारी को दर्शाता है।

यूनेस्को द्वारा जारी होने वाली प्रमुख रिपोर्ट :

- यूनेस्को द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट्स विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान को बढ़ाने, विकास करने और बांटने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- ये रिपोर्टें विश्व के सभी हिस्सों के बीच ज्ञान को बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। कुछ रिपोर्टें सामान्य जनता को सूचित करने के उद्देश्य से जारी की जाती हैं, जबकि कई रिपोर्टें विशेषज्ञों को यूनेस्को के क्षेत्रों की विशेषज्ञ ज्ञान से परिचय करवाती हैं।
- ये विविध प्रकार की प्रकाशन और सह-संपादन, 70 से अधिक भाषाओं में अनुवादित कर, विश्व में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य को पूरा करती हैं।
- यूनेस्को की प्रमुख विश्व रिपोर्टें विभिन्न विषयों पर होती हैं, जैसे शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना। ये रिपोर्टें विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी प्रदान करती हैं।
- **यूनेस्को की विज्ञान रिपोर्ट :** यूनेस्को की विज्ञान रिपोर्ट नियमित रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार शासन (STI) के खाका को तैयार करती है।
- यूनेस्को ने भारत में विकलांग बच्चों की शिक्षा स्थिति के बारे में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि भारत में समावेशी शिक्षा को लागू करना जटिल कार्य है और विभिन्न संदर्भों में बच्चों और उनके परिवारों की विविध आवश्यकताओं की एक अच्छी समझ विकसित करने की आवश्यकता है।
- **वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट :** वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट भी विश्वभर में शिक्षा के क्षेत्र में विकास की स्थिति को जांचने के लिए जारी की जाती है। यह रिपोर्ट विभिन्न शैक्षिक मुद्दों पर जानकारी प्रदान करती है और शिक्षा के विकास के लिए सुझाव देती है।
- **स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया :** यह भारत में शिक्षा की स्थिति को विस्तृत रूप से जांचने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है।

स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए ।

शहर		UCNN का रचनात्मक क्षेत्र
1. श्रीनगर	:	शिल्प और लोक कला (2021)
2. मुंबई	:	फिल्म (2019)
3. चेन्नई	:	संगीत का रचनात्मक शहर (2017)
4. जयपुर	:	शिल्प और लोक कला (2015)

उपरोक्त शहरों से किस का रचनात्मक क्षेत्र सुमेलित है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमे से कोई नहीं ।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. विश्व शिल्प शहर कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? भारत में शिल्प के क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियाँ क्या है और उसका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है ? तर्कसंगत चर्चा कीजिए। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को साहित्य की नगरी के रूप में मान्यता देना

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 1 के अंतर्गत ' भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति, भारतीय साहित्य ' खंड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' केरल का कोझिकोड शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क , कुंडलता (Kundalatha) ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को साहित्य की नगरी के रूप में मान्यता देना ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में UNESCO ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क (UCCN) के अंतर्गत केरल के शहर कोझिकोड को ' **साहित्य की नगरी** ' यानी ' **सिटी ऑफ लिटरेचर** ' के रूप में मान्यता दी है।

यूनेस्को (UNESCO) :

- यूनेस्को (UNESCO) (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) विश्व भर में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र (UN) का एक विशेष संगठन है।
- यह शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।
- UNESCO का उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना है।
- यह ज्ञान साझा करने और विचारों की मुक्त बहाव को बढ़ावा देता है ताकि हम एक-दूसरे के जीवन के बारे में अधिक अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें।
- यूनेस्को के कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की 2015 में जनरल असेंबली द्वारा अधिकृत 2030 एजेंडा में निर्धारित स्थायी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करते हैं।

UNESCO क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क :

- UNESCO क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क (UCCN) का उद्देश्य विश्व भर में क्रिएटिव शहरों के साथ साथ उनके सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्थन प्रदान करना है।
- UNESCO क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क (UCCN) की स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी।
- इस नेटवर्क में शहरों को शामिल करने हेतु सात रचनात्मक क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। **जो निम्नलिखित है –**
  - **शिल्प और लोक कला :** इसमें स्थानीय कला, शिल्प, फोल्कलोर, और जनजातीय कला शामिल हैं।
  - **डिज़ाइन :** डिजाइन, फैशन, ग्राफिक्स, और अन्य रचनात्मक कला शामिल होते हैं।
  - **फिल्म :** इस श्रेणी के तहत सिनेमा, डॉक्यूमेंट्री, और अन्य फिल्म शैलियों या विधाओं का समावेश होता है।
  - **पाक-कला (गैस्ट्रोनॉमी) :** पाक – कला श्रेणी के तहत खाने-पीने की संस्कृति, खासकर खास व्यंजनों की रचना और उसकी प्रस्तुति शामिल है ।
  - **साहित्य :** यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के तहत साहित्य की श्रेणी में भाषा, साहित्य, लोककथाएँ और अन्य लेखन साहित्यिक विधा शामिल है।
  - **मीडिया कला :** इस श्रेणी के तहत टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल मीडिया, और अन्य मीडिया प्रारूप शामिल हैं।
  - **संगीत :** इस श्रेणी के तहत संगीत, गायन, वाद्य, और अन्य संगीत

से संबंधित शैलियों का समावेश किया जाता है।

- यह नेटवर्क विभिन्न शहरों के महापौरों और अन्य हितधारकों के बीच वार्षिक सम्मेलन के माध्यम से सांस्कृतिक विनिमय और सहयोग को बढ़ावा देता है।
- वर्ष 2024 में यह सम्मेलन जुलाई माह में पुर्तगाल के ब्रागा में आयोजित किया जाएगा।

UNESCO क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क (UCCN का मुख्य उद्देश्य :

- वर्ष 2024 में UNESCO क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क (UCCN)के तहत 350 शहर शामिल हैं।
- UNESCO क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क (UCCN) एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है जो शहरों को सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों के विकास के लिए समृद्धि की ओर अग्रसर करने का लक्ष्य रखती है।
- UCCN के मुख्य उद्देश्यों में से एक है स्थानीय समुदायों को रचनात्मकता के क्षेत्र में अग्रसर करने के लिए समर्पित होना।
- यह शहरों को उनके स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने और उनके रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद करता है।
- इसके अलावा, UCCN शहरों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का भी प्रयास करता है।
- यह शहरों को अपने रचनात्मक उत्पादों को विश्व भर में प्रसारित करने के लिए माध्यम प्रदान करता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दृढ़ता से जुड़ने का मौका देता है।
- केरल के कोझिकोड को UCCN के द्वारा "City of Literature" (साहित्य की नगरी) के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। यह एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि यह शहर अपनी साहित्यिक और रचनात्मक विरासत के लिए प्रसिद्ध है और अब विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कर चुका है।

UCCN में भारत के कौन – कौन शहर शामिल हैं ?

भारत में UCCN के तहत निम्नलिखित शहर शामिल हैं –

- **कोझिकोड:** केरल की साहित्यिक और सांस्कृतिक जगत की कई प्रमुख हस्तियाँ, प्रमुख मीडिया हाउस, और अनेक पुस्तकालय (500 से अधिक) यहाँ विद्यमान हैं। इसके अलावा, कुछ वर्षों में यहाँ कई फिल्में बनी हैं और रंगमंच के पेशवरों ने अपनी पहचान बनाई है। पहले मलयालम उपन्यास **"कुंडलता" (Kundalatha)** की रचना वर्ष 1887 में कोझिकोड में अप्पू नेदुंगडी द्वारा की गई थी। यहाँ के कवियों, विद्वानों और प्रकाशकों ने मलयालम साहित्य और सांस्कृतिक विविधता में योगदान किया है।
- **जयपुर :** यह शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में शामिल है। (2015)
- **वाराणसी :** यह क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में शामिल है। (2015)
- **चेन्नई :** यह क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में शामिल है। (2017)
- **मुंबई :** यह फिल्म के क्षेत्र में शामिल है। (2019)
- **हैदराबाद :** यह पाक-कला के क्षेत्र में शामिल है। (2019)
- **श्रीनगर** : यह शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में शामिल है। (2021)

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. यूनेस्को द्वारा भारत के किस प्रसिद्ध रचना की पांडुलिपियों को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? (UPSC – 2018)

A. रामचरित मानस

B. महाभारत

C. सामवेद

D. ऋग्वेद

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क से आप क्या समझते हैं ? यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के मुख्य उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए इस नेटवर्क में विभिन्न श्रेणियों में शामिल भारत के प्रमुख शहरों का नाम और उसका महत्त्व का विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारत में जम्मू-कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश में शत्रु एजेंट अध्यादेश लागू

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के अंतर्गत ' भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था, राज्य विधायिका, भारत में केंद्र – राज्य संबंध, भारत और इसके पड़ोसी देश ' खंड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम (UAPA), शत्रु एजेंट अध्यादेश (Enemy Agents Ordinance), 2005, जम्मू- कश्मीर में शत्रु एजेंट अध्यादेश के तहत मुक़दमें की प्रक्रिया ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारत में जम्मू-कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश में शत्रु एजेंट अध्यादेश लागू ' से संबंधित है।)

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में, जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने कहा है कि भारत में या जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों की सहायता करने वालों पर **विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम (Unlawful Activities Prevention Act – UAPA)** के स्थान पर **शत्रु एजेंट अध्यादेश (Enemy Agents Ordinance), 2005** के तहत जांच एजेंसियों द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए ।
- इस कानून के तहत आजीवन कारावास या मौत की सजा का प्रावधान है।

जम्मू – कश्मीर शत्रु एजेंट अध्यादेश के बारे में :

- भारत के जम्मू-कश्मीर राज्य के शत्रु एजेंट अध्यादेश का इतिहास अत्यंत पुराना है।
- इस अध्यादेश को पहली बार वर्ष 1917 में जम्मू-कश्मीर के डोगरा महाराजा द्वारा जारी किया गया था।
- इसे **' अध्यादेश '** इसलिए कहा जाता है क्योंकि जम्मू-कश्मीर में डोगरा शासन के दौरान बनाए गए कानूनों को **' अध्यादेश '** ही कहा जाता था।
- भारत के विभाजन के बाद, इस अध्यादेश को वर्ष 1948 में महाराजा द्वारा कश्मीर संविधान अधिनियम, 1939 की धारा 5 के अंतर्गत अपनी विधि निर्माण की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून के रूप में पुनः अधिनियमित किया गया था।

शत्रु और शत्रु एजेंट की परिभाषा :

- शत्रु एजेंट अध्यादेश के तहत, शत्रु को "किसी भी ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जाता है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में कानून द्वारा स्थापित सरकार को अपदस्थ करने के लिए बाहरी हमलावरों द्वारा किए गए अभियान में भाग लेता है या सहायता करता है।
- शत्रु एजेंट का अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति षड्यंत्र करके या अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर देश के शत्रु की सहायता करता है, तो उसे शत्रु एजेंट की संज्ञा दी जाती है।

दंड का प्रावधान :

- इस अध्यादेश के तहत, शत्रु एजेंटों को मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा हो सकती है, और उनके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

न्यायिक सत्यापन और विचारण :

- रहमान शागू बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, 1959 के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शत्रु एजेंट अध्यादेश को भारत में संवैधानिक घोषित किया था।
- इस अध्यादेश के तहत, अभियोग का संचालन उच्च न्यायालय की सलाह से सरकार द्वारा नियुक्त विशेष न्यायाधीश द्वारा किया जाता है।
- इस अध्यादेश के तहत अभियुक्त को न्यायालय की अनुमति के बिना कोई भी वकील नियुक्त करने की कोई अनुमति नहीं होती है और इस अध्यादेश के तहत दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील करने का भी कोई प्रावधान नहीं होता है।

विधि विरुद्ध क्रिया – कलाप निवारण अधिनियम (UAPA) क्या है?

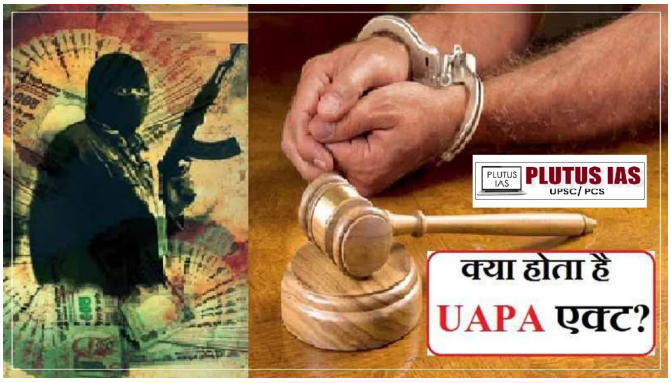

- विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम (UAPA) 1967 में पारित किया गया था और इसका प्रारंभिक उद्देश्य भारत में गैरकानूनी गतिविधि समूहों की प्रभावी रोकथाम करना है।
- इस अधिनियम में आतंकवादी वित्तपोषण, साइबर-आतंकवाद, व्यक्तिगत पदनाम, और संपत्ति की ज़ब्ती से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है।
- इसमें कई बार संशोधन किए गए हैं, जिनमें नवीनतम संशोधन वर्ष 2019 में किया गया था।

- विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम (UAPA) के तहत, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency-NIA) को देश भर में UAPA के तहत दर्ज मामलों की जाँच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार होता है।
- यह आतंकवादी कृत्यों के लिए उच्चतम दंड के रूप में मृत्युदंड और आजीवन कारावास का प्रावधान करता है।
- इस अधिनियम के तहत संदिग्धों को बिना किसी आरोप या ट्रायल के 180 दिनों तक हिरासत में रखने और आरोपियों को ज़मानत देने से इनकार करने की अनुमति होती है, जब तक कि न्यायालय संतुष्ट न हो जाए कि वे दोषी नहीं हैं।
- इस अधिनियम के तहत, आतंकवाद को ऐसे किसी भी कृत्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु या आघात का कारण बनता है या इसकी मंशा रखता है, या किसी संपत्ति को क्षति पहुँचाता है या नष्ट करता करता है, या जो भारत या किसी अन्य देश की एकता, सुरक्षा या आर्थिक स्थिरता को खतरे में डालता है।

जम्मू- कश्मीर में शत्रु एजेंट अध्यादेश के तहत मुक़दमें की प्रक्रिया :

जम्मू-कश्मीर में शत्रु एजेंट अध्यादेश के तहत मुकदमों की प्रक्रिया निम्नलिखित रूप में होती है –

- **विशेष न्यायाधीश के समक्ष मुकदमा :** शत्रु एजेंट अध्यादेश के तहत मुकदमा एक विशेष न्यायाधीश द्वारा चलाया जाता है, जिसे "सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से" नियुक्त करती है।
- **वकील रखने के लिए अदालत की स्वीकृति आवश्यक :** इस अध्यादेश के तहत, अभियुक्त अपने बचाव के लिए तब तक वकील नहीं रख सकता जब तक कि न्यायालय की अनुमति न हो।
- **फैसले के खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं :** शत्रु एजेंट अध्यादेश के तहत विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ अपील का कोई प्रावधान नहीं है। विशेष न्यायाधीश के फैसले की समीक्षा केवल "सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से चुने गए व्यक्ति" द्वारा की जा सकती है और उस व्यक्ति का निर्णय अंतिम होगा।
- **मामले के खुलासे या प्रकाशन पर रोक :** इस अध्यादेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी कार्यवाही के संबंध में या इस अध्यादेश के तहत किसी व्यक्ति के संबंध में कोई जानकारी प्रकट या प्रकाशित करता है, उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
- इस अध्यादेश के तहत, आतंकवादियों की मदद करने वालों को भी दुश्मन ही समझा जाता है और इसके तहत कैद या जुर्माना या दोनों ही रूप से दंडित किया जा सकता है।

स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. शत्रु एजेंट अध्यादेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इस अध्यादेश को सर्वप्रथम वर्ष 1917 में जारी किया गया था ।
2. इस अध्यादेश के तहत, शत्रु एजेंटों को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
3. इस अध्यादेश के अनुसार 10 वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा हो सकती है, और उनके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
4. शत्रु एजेंट अध्यादेश के तहत विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ अपील का कोई प्रावधान नहीं है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. शत्रु एजेंट अध्यादेश, 2005 के प्रमुख प्रावधानों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि यह किस प्रकार देश की आंतरिक सुरक्षा करने में कारगर उपाय के रूप में कार्य करता है तथा आतंकवाद पर अंकुश लगाता है अथवा यह मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है? तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत कीजिए। (UPSC CSE – 2021 शब्द सीमा – 250 अंक – 15)